

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (II)]

Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 8th May, 2015
18 Vaisakha, Saka 1937

S.O.(E). - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the Drugs (Price Control) Order, 2013 issued by the Minister of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th May, 2013, namely:-

In the said order, in para 2, for clause (n), the following clause shall be substituted, namely:-

'(n) "manufacturer" for the purpose of this Order means any person who manufactures or imports or markets drugs for distribution or sale in the country;'

File No. 31011/1/2013-PI-II(Pt)

Sudhansh Pant

(Sudhansh Pant)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2015
वैशाख 18 शक 1937

का.आ._____ (अ).- केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 15 मई, 2013 को प्रकाशित ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश के पैरा 2 में, खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(ढ) इस आदेश के प्रयोजन के लिए "विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो देश में वितरित या विक्रय करने के लिए ओषधियों का विनिर्माण या आयात या विपणन करता है;'

फा.सं. 31011/1/2013-पीआई-2 (भाग)

सुधांश पंत

(सुधांश पंत)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2015/फाल्गुन 18, 1936

No. 509]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2015 /PHALGUNA 18, 1936

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2015

का.आ. 686(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग द्वारा जारी औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1221(अ) तारीख 15 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः—

उक्त आदेश में पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (फ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः—

‘(फ) “अनुसूचित विनिर्दिष्ट” से वह विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है, जो अनुसूची 1 में सम्मिलित नहीं है;’।

[फा. सं. 31011/1/2013-पीआई-2 (पार्ट-2)]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2015

S.O. 686(E). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments in the Drugs (Prices Control) Order, 2013 issued by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Pharmaceuticals published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1221(E), dated 15th May, 2013, namely:—

In the said order, in para 2, in sub-para (1), for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(v) “non-scheduled formulation” means a formulation which is not included in Schedule-I;’.

F. No. 31011/1/2013-PI-II (Pt.-II)

SUDHANSH PANT Jt. Secy.

1109 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.